झारखण्ड सरकार

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट–11/2019– 882 दिनांक : 06.09.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची/निदेशक, वनपाल–सह–वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कुल **रू0 322.642 लाख (तीन करोड़ बाईस लाख चौंसठ हजार दो सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–18/2019–30/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.08.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–18/2019–79/आ0 व0प0 दिनांक 30.08.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–60 "प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 322.642 लाख (तीन करोड़ बाईस लाख चौंसठ हजार दो सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101600103	19.200
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600323	28.800
प्रशिक्षण	19S240601101600335	274.642
कुल :–		**322.642**

3. इस राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है।

4. इस योजना का कोड संख्या–19S240601101600315, 19S240601101600328 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. निकासी एवं व्यन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमिति निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृति राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

6/9

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
8/ झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–11/2019**–882 दिनांक–6/9/2019

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–11/2019**–882 दिनांक–6/9/2019

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ हजारीबाग/चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रसार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			
			मजदूरी	प्रशिक्षण व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1.	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची।	नवनियुक्त वनरक्षियों का 30 कार्य–दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण एवं परिचालन व्यय (9 सत्र, प्रति सत्र रू0 8.20 लाख)	0.000	73.800	0.000	73.800
		वन अधिकारियों/अन्य स्टेक होल्डर के लिए कार्यशाला/ सेमिनार/प्रशिक्षण एवं परिचालन व्यय	0.000	7.676	0.000	7.676
		सहायक वन संरक्षक/वन क्षेत्र पदाधिकारी/ वनपाल/ अनुसचिवीय कर्मचारियों का विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण/ कार्यशाला एवं परिचालन व्यय	0.000	9.696	0.000	9.696
		युवा/स्कूल–कॉलेज के छात्रों के लिए प्रशिक्षण एवं परिचालन व्यय	0.000	3.367	0.000	3.367
		वन विज्ञान केन्द्र में कृषकों का प्रशिक्षण एवं वन विज्ञान केन्द्र की स्थापना एवं परिचालन व्यय	19.200	18.180	28.800	66.180
		योग :	**19.200**	**112.719**	**28.800**	**160.719**
2.	निदेशक, वनपाल –सह– वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग।	नवनियुक्त वनरक्षियों का 15 कार्य–दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण (9 सत्र, प्रति सत्र रू0 4.10 लाख)	0.000	36.569	0.000	36.569
		वन अधिकारियों/अन्य स्टेक होल्डर के लिए कार्यशाला/ सेमिनार/प्रशिक्षण	0.000	7.448	0.000	7.448
		सहायक वन संरक्षक/वन क्षेत्र पदाधिकारी/ वनपाल/ अनुसचिवीय कर्मचारियों का विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण/ कार्यशाला	0.000	9.408	0.000	9.408
		युवा/स्कूल–कॉलेज के छात्रों के लिए प्रशिक्षण	0.000	2.450	0.000	2.450
		वन विज्ञान केन्द्र में कृषकों का प्रशिक्षण	0.000	17.640	0.000	17.640
		योग :	**0.000**	**73.515**	**0.000**	**73.515**
3.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।	नवनियुक्त वनरक्षियों का 30 कार्य–दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण एवं परिचालन व्यय (7 सत्र, प्रति सत्र रू0 8.20 लाख)	0.000	57.400	0.000	57.400
		वन अधिकारियों/अन्य स्टेक होल्डर के लिए कार्यशाला/ सेमिनार/प्रशिक्षण एवं परिचालन व्यय	0.000	6.251	0.000	6.251

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			
			मजदूरी	प्रशिक्षण व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
		सहायक वन संरक्षक/वन क्षेत्र पदाधिकारी/ वनपाल/ अनुसचिवीय कर्मचारियों का विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण/ कार्यशाला एवं परिचालन व्यय	0.000	7.896	0.000	7.896
		युवा/स्कूल–कॉलेज के छात्रों के लिए प्रशिक्षण एवं परिचालन व्यय	0.000	2.056	0.000	2.056
		वन विज्ञान केन्द्र में कृषकों का प्रशिक्षण एवं परिचालन व्यय	0.000	14.805	0.000	14.805
		योग :	**0.000**	**88.408**	**0.000**	**88.408**
		कुल योग :	**19.200**	**274.642**	**28.800**	**322.642**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/YB-11/2019/882

दिनांक - 06-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	57248	DRNFWL009 SRI ANIL KUMAR MISHRA DY.CF.TRAINING RANCHI	1,920,000.00 रुपये उन्नीस लाख बीस हजार
2	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	57249	DRNFWL009 SRI ANIL KUMAR MISHRA DY.CF.TRAINING RANCHI	2,880,000.00 रुपये अठाइस लाख अस्सी हजार
3	S 19 240601101600335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	57250	DRNFWL009 SRI ANIL KUMAR MISHRA DY.CF.TRAINING RANCHI	11,271,900.00 रुपये एक करोड बारह लाख इकहत्तर हजार नौ सौ

योग: 16,071,900.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड साहठ लाख इकहत्तर हजार नौ सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

164.100.151.244
Run Date: 6/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-11/2019/882 दिनांक - 06-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 2406011016000335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	57251	HZBFWL020 SMITHA PANKAJ DIRCT.FOR CUM FRG TRG SCH HZB	7,351,500.00 रुपये तीहत्तर लाख इकावन हजार पॉच सौ
5	S 19 2406011016000335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	57252	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	8,840,800.00 रुपये अठयासी लाख चालीस हजार आठ सौ

योग: 16,192,300.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड बाइस लाख चौसठ हजार दो सौ 32,264,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.244 Run Date: 6/9/2019